न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 67/2019(जी.सी.एम.एस. 2019/00140)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर		1. शांति पत्नी फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी केसरीसिंहपुर। 2. गंगू पुत्र फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी केसरीसिंहपुर। 3. रामकरण पुत्र फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी केसरीसिंहपुर। 4. लालचन्द पुत्र फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी केसरीसिंहपुर। 5. निरमा पुत्री फूलचन्द जाति मेघवाल निवासी केसरीसिंहपुर। 6. मैना देवी पब्लिक स्कूल प्रबन्ध समिति केसरीसिंहपुर।

उपस्थितः 1.पैरोकार राज तारीख रजूः- 21.08.2019
2. श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3. श्री अशोक कुमार जोशी प्रतिवादी संख्या 6
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय--

दिनांक : 30.10.2024

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 111, 93, 96, 102, 47 की भूमि अनुसूचित जाति प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 6 जो उक्त भूमि का अकृषि उपयोग (स्कूल, भवन, खेल मैदान) के रूप में कर रहा है। जो कि स्वर्ण जाति का सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अनुसूचित जाति व प्रतिवादी संख्या 6 स्वर्ण जाति का होने से उक्त भूमि का हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46ए के अन्तर्गत अवैध है। उक्त मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 1.025 हैक्टेयर नहरी भूमि अकृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संपरिवर्तन नहीं करवाया गया है। उक्त 1.025 हैक्टेयर भूमि को रकवा राज किया जाना उचित है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को हस्तान्तरित की गई भूमि को अवैध मानकर चक 4 यू के मुरब्बा नम्बर 13 की 1.025 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जावे।

2- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा व प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादी का दावा विधि विरूद्ध दायर होने के कारण काबिले खारिजी है और खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा चक 4 यू के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8, 9, 10, 11, 12, 13 की भूमि किलावाईज विभाजित कर तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष आवेदन कर आवासीय रूपान्तरण करवाया था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा रूपान्तरित रकबा को अपनी घरेलू जरूरत के लिए रूपयों की आवश्यकता अनुसार इसका बेचान जरिए पंजीकृत विलेख दिनांक 12.05.2004 द्वारकादास पुत्र रामचन्द जाति महेश्वरी निवासी केसरीसिंहपुर को अन्तरित कर दिया। इसी दिनांक से उक्त रकबा पर द्वारकादास काबिज हो गये। प्रतिवादी संख्या 6 मैनादेवी मैमोरियल पब्लिक स्कूल प्रबन्ध समिति केसरीसिंहपुर ने यह रकबा द्वारकादास से जरिये पंजीकृत लीजडीड दिनांकित 05.07.2010 के द्वारा उन्नीस वर्ष ग्यारह माह के लिये विद्यालय हेतु लीज पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा उक्त रकबा को कृषि से अकृषि उपयोग रूपान्तरण करवा दिया था। जिससे उक्त भूमि की किस्म से कृषि भूमि नहीं रह गयी थी। इस प्रकार से उक्त रकबा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कथित प्रावधान लागू ही नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि वादी का वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3- हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या चक 4 यू की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 111, 93, 96, 102, 47 के मुरब्बा नम्बर 13 की 1.025 हैक्टेयर भूमि के रूप में अनुसूचित जाति के नाम दर्ज है, व उस पर स्वर्ण जाति का हस्तान्तरण धारा 42, 43, 46 आरटीए का उल्लघंन है?

-जिम्मे वादी-

(ii)आया कि क्या मुरब्बा नम्बर 13 की 1.025 हैक्टेयर नहरी भूमि बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि कार्य के उपयोग में लेने के कारण रकबा राज किया जाना उचित है?

-जिम्मे वादी-

(iii)आया कि क्या वादी का दावा विधि विरूद्ध व न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज योग्य है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 5-

(iv)आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि(आवासीय) रूपान्तरण करवाकर पंजीकृत विलेख दिनांक 12.05.2004 से बेचान किया गया है, जो वैध होने के कारण वादी का दावा खारिज योग्य है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6-

(v)अनुतोष।

4- हस्तगत प्रकरण में पैरोकार राज के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में जिरह वकील प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य स्टेट वन्द की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

5- हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) :आया कि क्या चक 4 यू की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 111, 93, 96, 102, 47 के मुरब्बा नम्बर 13 की 1.025 हैक्टेयर भूमि के रूप में अनुसूचित जाति के नाम दर्ज है, व उस पर स्वर्ण जाति का हस्तान्तरण धारा 42, 43, 46 आरटीए का उल्लघंन है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। चक 4 यू की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 111, 93, 96, 102, 47 के मुरब्बा नम्बर 13 की 1.025 हैक्टेयर भूमि के रूप में अनुसूचित जाति के नाम दर्ज है और भूमि की किस्म भी नहरी है। जिस समय प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा बैयनामा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया था, उस समय राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक भूमि की किस्म नहरी व खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। लिहाजा उक्त वादगत भूमि का हस्तान्तरण अनुसूचित जाति के व्यक्ति से स्वर्ण जाति के व्यक्ति को हुआ है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46 का उल्लघंन है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii)आया कि क्या मुरब्बा नम्बर 13 की 1.025 हैक्टेयर नहरी भूमि बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि कार्य के उपयोग में लेने के कारण रकबा राज किया जाना उचित है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किए है कि प्रतिवादी संख्या 6 मैनादेवी मैमोरियल पब्लिक स्कूल प्रबन्ध समिति केसरीसिंहपुर ने यह रकबा द्वारकादास से जरिये पंजीकृत लीजडीड दिनांकित 05.07.2010 के द्वारा उन्नीस वर्ष ग्यारह माह के लिये विद्यालय हेतु लीज पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा उक्त रकबा को कृषि से अकृषि उपयोग(आवासीय) रूपान्तरण करवा दिया था। जिससे उक्त भूमि की किस्म से कृषि भूमि नहीं रह गयी थी। इस प्रकार से उक्त रकबा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कथित प्रावधान लागू ही नहीं है। लिहाजा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात की छायाप्रतियों के अनुसार वादगत भूमि का संपरिवर्तन प्रयोजन आवासीय है। मौका पर विद्यालय

...कारी (राजस्व) ...पुर (श्री गंगानगर)

...खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। जो कि संस्थानिक संपरिवर्तन के अन्तर्गत आता है। प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा वादगत रकबा का प्रयोग संस्थानिक प्रयोजन में किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनिम-1955 की धारा 177 का उल्लघंन है। संपरिवर्तन नियमों के अनुसार यदि जिस प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया गया है। यदि 2 वर्ष तक उस प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाता तो वह संपरिवर्तन आदेश स्वत शून्य हो जाता है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या वादी का दावा विधि विरूद्ध व न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। जिसमें सिद्ध हो चुका है। कि प्रतिवादीगण के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 177 का उल्लघंन करते हुए, वादगत रकवा को बिना संस्थानिक सपरिवर्तन करवाए, विद्यालय हेतु प्रयोग किया है, जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iv)आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि(आवासीय) रूपान्तरण करवाकर पंजीकृत विलेख दिनांक 12.05.2004 से बेचान किया गया है, जो वैध होने के कारण वादी का दावा खारिज योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 6 की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। जिस समय प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा बैयनामा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया था, उस समय राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक भूमि की किस्म नहरी व खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(v) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण व तनकी संख्या 3, 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:आदेश:-

6- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 111, 93, 96, 102, 47 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8, 9, 10, 11, 12 की 1.025 हैक्टेयर भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
राजस्थान सरकार बनाम शान्ति देवी आदि
धारा अन्तर्गत 177 आरटीए
मुकदमा नम्बर 67/2019
निर्णय दिनांक :- 30.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्थायी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **पैराकार राज व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा, व श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 111, 93, 96, 102, 47 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 8, 9, 10, 11, 12 की 1.025 हैक्टेयर भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 30.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	04	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	08	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 30.10.2024

क्रमांक: रीडर/2024/578
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर